प्रकरण संख्या 75/2019 RCMS ID-2019/00019 तारीख रजु-20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 हरीप्रसाद पुत्र किशनालाल जाति गूजर निवासी अनीजरा तहसील मासलपुर जिला करौली

2 पन्ना पुत्र श्री जाति गूजर निवासी अनीजरा तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत-नाम हजफ)

2/1 हरिप्रसाद
2/2 रामप्रसाद
2/3 मोहन
2/4 हरिनिवास
} पिसरान श्री किशनालाल जाति गूजर निवासी अनीजरा तहसील मासलपुर जिला करौली

2/5 कलावती पत्नि श्री किशनालाल जाति गूजर निवासी अनीजरा

2/6 राजू
2/7 रामखिलाड़ी
} पिसरान देवीलाल गुर्जर निवासी अनीजरा

2/8 दुर्गालाल
2/9 रामनिवास
2/10 प्रकाश
} पिसरान मोहरसिंह गुर्जर निवासी अनीजरा

2/11 कलावती पत्नि मोहरसिंह गुर्जर निवासी अनीजरा

2/12 पुखराज
2/13 बत्तू
2/14 रूपसिंह
2/15 धर्मसिंह
} पिसरान धुन्धी गुर्जर निवासी अनीजरा

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-07.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 92/2 रकबा 1-10 बीघा ग्राम अनीजरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 92/2 रकबा 1-10 बीघा ग्राम अनीजरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2030-2033 तक के नामांतरकरण संख्या 90 किस्म बारानी-3 से श्री पन्ना पुत्र श्री जाति गूजर निवासी अनीजरा के नाम जरिए आवंटन से दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् जरिये वयनामा नामांतरकरण संख्या 268 से श्री हरीप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में जरिये वयनामा श्री हरीप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी अनीजरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार

जिला कलक्टर
करौली

करते हुए आराजी खसरा नंबर 92/2 रकबा 1–10 बीघा बाके ग्राम अनीजरा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 90 दिनांक 01.05.1972, नामांतरकरण संख्या 268 दिनांक 25.10.1986, जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद अप्रार्थीयान के असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जवाब पेश करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 92/2 रकबा 1–10 बीघा गै0 मु0 नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 90 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 92/2 किस्म बारानी–3 रकबा 1–10 पन्ना पुत्र श्री कौम गुर्जर निवासी अनीजरा के नाम दिनांक 01.05.1972 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 92/2 किस्म बारानी–3 रकबा 1–10 बीघा श्री हरीप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति गूजर निवासी अनीजरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम अनीजरा की आराजी खसरा नंबर 92/2 रकबा 1–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली